सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का पंचम् सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का पंचम् सत्र बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
पंचम् सत्र	05	सितम्बर माह - 16, 17, 18, 21 व 22

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

सत्र के दौरान श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकार किया जाकर श्री राव राजेन्द्र सिंह को सर्व सम्मति से राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री; श्री रामेश्वरलाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष; श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री; श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा नव-निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए सदन में उनकी सीट तक ले जाया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, श्री रामेश्वरलाल डूडी तथा माननीय अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने नव-निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी। श्री राव राजेन्द्र सिंह ने सदस्यों के सहयोग की कामना करते हुए निर्विरोध निर्वाचित किये जाने पर आभार व्यक्त किया।

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 2015 को प्रश्नकाल आरम्भ होते ही श्री रामेश्वर लाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार के प्रकरण में मुख्य मंत्री से इस्तीफे की मांग पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर लगातार नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सदन की बैठक 11.10 बजे मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे तक स्थगित की गई। पुनः म.प. 1.07 बजे बैठक 2.00 बजे तक स्थगित की गई।
2. दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को बैठक आरम्भ होते ही कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार के प्रकरण में मुख्य मंत्री से इस्तीफे की मांग पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन के वैल

में आकर लगातार नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सदन की बैठक 11.09 बजे मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे तक स्थगित की गई। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात् श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा ने मीना-मीणा विवाद से उत्पन्न स्थिति पर मीणा समाज के लोगों द्वारा विधान सभा पर प्रदर्शन करने की सूचना दी। इस पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर लगातार नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ।

3. दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को बैठक आरम्भ होते ही खान आबंटन में हुई कथित अनियमितता के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से इस्तीफे की मांग पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर लगातार नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सदन की बैठक 11.09 बजे मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे तक स्थगित की गई। बैठक पुनः समवेत होने पर भी अव्यवस्था एवं व्यवधान जारी रहा।

4. दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को प्रश्नकाल आरम्भ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी एवं हंगामा करने के कारण सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान उत्पन्न होने के फलस्वरूप सदन की बैठक 11.10 बजे मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे तक स्थगित की गई। बैठक पुनः समवेत होने पर भी अव्यवस्था एवं व्यवधान जारी रहा।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 116 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1944 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 827 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 81 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। 60 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 6 सदस्यों ने 9-9, 8 सदस्यों ने 8-8, 3 सदस्यों ने 7-7 तथा शेष 28 सदस्यों ने 6-6 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती सोना देवी, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्रीमती द्रोपती, श्रीमती कामिनी जिन्दल, श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती अनीता एवं श्रीमती अन्जू देवी धानका ने सर्वाधिक10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 4-4 प्रश्न श्री गोविन्द सिंह डोटासरा तथा डॉ. किरोड़ी लाल के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती शकुन्तला रावत तथा श्रीमती गोलमा के 2-2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 1117 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 120 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 27 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 4 सदस्यों ने 19-19, 5 सदस्यों ने 18-18 तथा शेष 60 सदस्यों ने 7 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्रीमती कामिनी जिन्दल ने सर्वाधिक 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 5 प्रश्न श्री केसाराम चौधरी के थे। महिला

सदस्यों में श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती रानी सिलौटिया तथा श्रीमती गोलमा के 2-2 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 86 प्रश्न शिक्षा विभाग, 74 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 57 ऊर्जा विभाग तथा 54 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 6 प्रश्न राजस्व विभाग, 5-5 प्रश्न जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 59 प्रश्न जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 48 प्रश्न पंचायती राज विभाग, 45 प्रश्न गृह विभाग तथा 44 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 6-6 प्रश्न राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग तथा 5 प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो पंचम् सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 599 तारांकित प्रश्नों में से 53 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 116 में से 15, निर्दलीय सदस्यों के 59 में से 5, राष्ट्रीय जनता पार्टी के 18 में से 6, बहुजन समाज पार्टी के 15 में से 1 तथा एनयूजेडपी के 21 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 817 प्रश्नों में से 90 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 126 में से 15, निर्दलीय सदस्यों के 87 में से 7, बहुजन समाज पार्टी के 27 में से 1, एनयूजेडपी के 22 में से 1 तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी के सदस्यों के 38 में से 6 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 121 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 134 अतारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 706 तारांकित प्रश्नों में से 71 तथा 983 अतारांकित प्रश्नों में से 110 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 73 तारांकित प्रश्नों में से 5 तथा 91 अतारांकित प्रश्नों में 6 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के 8 में से 2 तारांकित तथा 19 में से 2 अतारांकित प्रश्न तथा एनयूजेडपी के 20 में से 1 तारांकित तथा 22 में से 1 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत द्वारा प्रस्तुत 10 तारांकित में से 2 तथा प्रस्तुत एक अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 10 तारांकित तथा एक अतारांकित में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो सका।

समीक्ष्य सत्र में अव्यवस्था एवं हंगामें के कारण किसी भी दिन प्रश्नकाल सुचारू रूप से सम्पन्न नहीं हुआ। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को 12 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ

माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्यों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 सदस्यों तथा एक निर्दलीय श्री हनुमान बेनीवाल ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की। महिला सदस्यों द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को पर्ची के माध्यम से डॉ. फूलचन्द भिण्डा ने प्रदेश में नरेगा में कतिपय अनुबंध कर्मियों के वेतन भत्ते, पारिश्रमिक एवं स्थायीकरण के सम्बन्ध में तथा श्री कैलाश चौधरी द्वारा बाड़मेर जिले में संचालित मीठे पानी की जलप्रदाय परियोजनाओं का कार्य धीमी गति से होने के सम्बन्ध में अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई। डॉ. भिण्डा द्वारा उठाये गये विषय पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल ने अभ्युक्ति दी।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

पंचम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 11, राजकीय उपक्रम समिति और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के 10-10, कार्य सलाहकार समिति के 2, याचिका समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन 'ख' समिति तथा अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी समिति का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

शासकीय संकल्प

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री ने निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत किये -

1. यह सदन सर्वसम्मति से राजस्थान प्रदेश के कतिपय पिछड़े वर्गों अर्थात् बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी के शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े होने को दृष्टिगत रखते हुए यह संकल्प करता है कि राजस्थान सरकार 'राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015' को संविधान के अनुच्छेद 31ख के अन्तर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें।
2. यह सदन सर्वसम्मति से राजस्थान प्रदेश के अनारक्षित प्रवर्गों के सर्वाधिक गरीब वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प करता है कि राजस्थान सरकार 'राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015' को संविधान के अनुच्छेद 31ख के अन्तर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें।

गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा पारित किये गये।

राज्य में सूखे एवं बिजली की स्थिति पर विचार

पंचम् सत्र के दौरान दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को श्री गुलाब चन्द कटारिया, आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने सदन में राज्य में सूखे पर तथा श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ने राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श के दौरान श्री अभिषेक मटोरिया, श्री श्रीचंद कृपलानी, श्री रामहेत सिंह यादव, श्री शंकर सिंह तथा श्री केसाराम चौधरी ने विचार व्यक्त किये। विचार के पश्चात् श्री गुलाब चन्द कटारिया, आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री तथा श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ने सरकार की ओर से उत्तर दिया।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

पंचम् सत्र में दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2015-16 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन)का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

विधायी कार्य

(क) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 16 सितम्बर, 2015 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये-

1. महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 2)
2. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 3)
3. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 4)
4. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 5)
5. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 6)
6. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 7)
7. कारागार (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 8)

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण अग्र प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
25/2015	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2015	16.9.2015	17.9.2015	17.9.2015
26/2015	महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2015	16.9.2015	17.9.2015	17.9.2015
27/2015	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	17.9.2015	17.9.2015
28/2015	राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	18.9.2015	18.9.2015
29/2015	राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	18.9.2015	18.9.2015
30/2015	राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	18.9.2015	18.9.2015
31/2015	राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	18.9.2015	18.9.2015
32/2015	राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	21.9.2015	21.9.2015
33/2015	राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015	16.9.2015	22.9.2015	22.9.2015
34/2015	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	17.9.2015	17.9.2015
35/2015	राजस्थान विनियोग (संख्या -5) विधेयक, 2015	22.9.2015	22.9.2015	22.9.2015
36/2015	कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	21.9.2015	21.9.2015
37/2015	राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015	16.9.2015	22.9.2015	22.9.2015
38/2015	राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015	16.9.2015	22.9.2015	22.9.2015

39/2015	राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015	16.9.2015	22.9.2015	22.9.2015
40/2015	राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015	16.9.2015	21.9.2015	21.9.2015

नोट - दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री ने सदन द्वारा आज्ञा प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रवर समिति को निर्दिष्ट राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015 को वापिस लिया।

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य पंचम् सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

[16.09.2015]

1. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	पूर्व राष्ट्रपति, भारत	27.07.2015
2. श्री आर.एस. गवई	पूर्व राज्यपाल, बिहार तथा केरल	25.07.2015
3. श्रीमती शीला कौल	पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश	13.06.2015
4. श्री जानकी बल्लभ पटनायक	पूर्व मुख्य मंत्री, ओडिशा	21.04.2015
5. डॉ. विल्फ्रेड ए. डिसूजा	पूर्व मुख्य मंत्री, गोवा	04.09.2015
6. श्री रघुवीर सिंह कौशल	पूर्व सदस्य, छठी, सातवीं, नौवी व दसवीं विधान सभा	24.08.2015
7. श्री नाथूलाल गुर्जर	पूर्व सदस्य, ग्यारहवीं विधान सभा	19.05.2015
8. श्री कौशल किशोर जैन	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	14.04.2015
9. श्री हरिराम चौहान	पूर्व सदस्य, तीसरी विधान सभा	11.04.2015
10. श्री गिरधारी लाल भोबिया	पूर्व सदस्य, दूसरी विधान सभा	09.08.2015
11. नेपाल में आये विनाशकारी भूकम्प में मृतक		25.04.2015
12. आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री पुष्करालु घाट पर मची भगदड़ में मृतक		14.07.2015
13. देवधर जिले (झारखण्ड) दुर्गा मंदिर के पास कांवडियों में मची भगदड़ में मृतक		10.08.2015
14. हरदा जिले (मध्य प्रदेश) में काली माचक नदी के पुल पर हुई रेल दुर्घटना में मृतक		04.08.2015
15. झाबुआ जिले (मध्य प्रदेश) में स्थित एक इमारत में रखे खनन विस्फोटकों में हुए विस्फोट के मृतक		12.09.2015

[18.09.2015]

16. श्री पदम सिंह राठौड़	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	17.07.2015
12. श्री रविशंकर याज्ञिक	पूर्व सदस्य, तीसरी विधान सभा	02.06.2015